

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं. पृ. म.
<p>11-6-15</p> <p>राजमूल</p>	<p>वर्षा 19 उपपत्र के रूप में लम्बी मकिया की 5.7.9 की पत्रावली पत्रावली सं: 6-8-15 को पेश की गई</p> <p style="text-align: right;"> $\frac{58677}{21715}$ </p> <p>10-7-15</p> <p>पत्रावली आज लोक अदालत शिविर महुकला में पेश हुई। वादी रामफूल उपस्थित है। वादी रामफूल ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि प्रस्तुत वाद में प्राथमिक त्रुटी होने के कारण वादी अपना दावा वापस ले रहा है। वादी को दावा वापस लेने की व जया दावा पेश करने की अनुमति दी जावे।</p> <p>राजीनामा प्राप्त स्वीकार किया जाकर वादी को यह दावा वापस लेने व मवीन दावा पेश करने की अनुमति दी जाती है। पंचा उक्री जारी किया जावे। पत्रावली पेंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तर्कमूल दायित्व दफतर हो।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="479 1438 836 1760"> <p><i>(सतीश कुमार राम)</i> सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी</p> </div> <div data-bbox="933 1438 1209 1841"> <p><i>(मुनिरेव यादव)</i> अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी</p> </div> </div>	

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अहमदपुर

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

—वादी

रामफूल पुत्र बुद्ध, माली निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी

बनाम

1. छोटा पुत्र जैला, माली निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. रामजीलाल पुत्र छोटा, माली निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. जगमोहन पुत्र बुद्ध, माली निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. रोशन पुत्र बुद्ध, माली निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. मूली बेवा बुद्ध, माली निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. गोविन्दनारायण पुत्र सोहनलाल, माली निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. जयराम पुत्र सीताराम, माली निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. अमृतलाल पुत्र सीताराम, माली निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी
9. रामकेश पुत्र सीताराम, माली निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी
10. फूलो बेवा सीताराम, माली निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी
11. उप पंजीयन अधिकारी लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 189/2012

वादी की ओर से वादी रामफूल की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी — की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 10.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि लोक अदालत में वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को वाद वापिस लेने की एवं नवीन वाद दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।
यह आज तारीख 10.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उपपंजीयन अधिकारी
गंगापुर सिटी

वादी	वाद के खर्चे	
	रुपया	रुपया
1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		प्रतिवादी
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		रुपया
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील		
जोड		जोड